



□□□□□□□ □□□□□□□

नई दिल्ली □ नाबालगि ल □ की केयौन शोषण के आरोप में गरिफ्तार आसाराम ने अपने खलिाफ मीडिया में चल रहे अभयान पर अंकुश केर्ला □ मंगलवार के सुप्रीम केर्ट में याचकि दायर की □ मुख्य न्यायाधीश पी सदाशविम की अध्‍यक्‍षता वाली खंडपीठ के सामने आसाराम की याचकि क उल्लेख कया गया □ अदालत ने इस याचकि के सुनवाई केर्ला □ 21 अक्‍तूबर के सूचीबद्ध करने क नरिदेश दया है □ वकील वकिस सहि ने आसाराम क प्रेस में मीडिया ट्रायल रोकने क अनुरोध करते हु □ कहा क अन्‍यथा उनके मामले की नष्‍िपक्‍ष सुनवाई संभव नहीं होगी □

उन्होंने कहा-मुक्‍दमे की सुनवाई से पहले ही मीडिया मुझे सजा दे रहा है और मेरे मामले में नष्‍िपक्‍ष सुनवाई नहीं होगी □ उन्होंने अदालत से अनुरोध कया क उनके खलिाफ बलात्कर के आरोपों के मद्देनजर मीडिया के आसाराम, उनके परिवार और आश्रमों के बारे में कल्पनकि खबरें चलाने से रोक जा □ वकिस सहि ने कहा क यदि मीडिया अदालत की कर्यवाही के सही तरीके से प्रस्तुत करता है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ता नहीं होगी □ लेकिन उनके आश्रमों के बारे में कल्पनकि खबरें चलाने से उसे रोक जाना चाहती □

उन्होंने कहा क आसाराम के आश्रमों में दस हजार ल □ केल □ कया शिक्षा ग्रहण करते है और मीडिया की खबरों से उन पर प्रतक्लि असर प □ रहा है □ आसाराम के □ क नाबालगि ल □ की केयौन शोषण के आरोपों में अगस्त में गरिफ्तार कया गया था □ गरिफ्तारी के बाद से ही वह राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद है □